# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00069RAAJodhpur2019-031RTA223 Jogsingh etc Vs Manoharsingh n ors

1. जोगसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
2. इन्द्रकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत
3. भोमसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
4. बचनसिंह पुत्र अचलसिंह राजपूत
5. बनेसिंह पुत्र अचलसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम मतोडा, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. मनोहरसिंह पुत्र थोकलसिंह राजपूत
   निवासी ग्राम मतोडा, तहसील ओसिंया
   जिला जोधपुर
2. ओमूदेवी पत्नी माथाराम जाट
   निवासी ग्राम धुन्धाडिया, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 05 मार्च 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 172/2014 जोगसिंह व अन्य बनाम मनोहरसिंह इत्यादि**

-------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सीताराम बेनीवाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

## नि र्ण य

दिनांक : 17 सित. 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 172/2014 जोगसिंह व अन्य बनाम मनोहरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 मार्च 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 27 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण ने आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा मौजा सांवता के ⅓ हिस्से व खसरा संख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा मौजा मतोडा के ½ हिस्से बाबत प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 मार्च 2019 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स एवं अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक मूलतः जवाहरसिंह के वंशज है, जवाहरसिंह के चार पुत्रों अचलसिंह, गायडसिंह, धोकलसिंह, और दलपतसिंह में से गायडसिंह लाऔलाद फौत हुए, जबकि अपीलाण्ट्स अचलसिंह के उत्तराधिकारी, धोकलसिंह का उत्तराधिकारी अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक मनोहरसिंह, तथा दलपतसिंह के उत्तराधिकारी पाबूसिंह, मगसिंह व जेठूसिंह हुए। लाऔलाद फौत हुए गायडसिंह पुत्र जवाहरसिंह के हक व कब्जे काश्त की ग्राम मतोडा में स्थित आराजी खसरा संख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 92 रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा संख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा के ½ भाग पर प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की वक्त सेटलमेण्ट से ही रहवासीय ढाणियां बनी हुई है और कब्जा चला आ रहा है, सम्पूर्ण परिवार की कागजी देखभाल गायडसिंह ही करते थे, इस कारण जमाबंदी में गायडसिंह ने अपना नाम दर्ज करवा लिया। कालान्तर में गांव के लोगों की पंच-पंचायती एवं पारिवारिक समझौते/बंटवारे के अनुसार अपीलाण्ट्स के बंट में 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा मौजा सांवता के ⅔ हिस्से व खसरा संख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा मौजा मतोडा के ½ हिस्से की भूमि प्राप्त हुई, मगर पारिवारिक समझौते के अनुरूप बाद में कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाने के कारण मौके पर कब्जे में कोई तब्दीली नहीं हो पायी। रेस्पो. संख्या एक ने भी नीयत खराब हो जाने से खसरा संख्या 345 का ⅓ हिस्सा रेस्पो. संख्या दो के पक्ष में बेचान कर दिया। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत निवेदन किया। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि-विरुद्ध तरीके से उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का तर्क है कि मौके पर कब्जा अपीलाण्ट्स का है, मकान, टांका आदि बने हुए है, रेस्पो. यदि कब्जा कर लेते है तो अपीलाण्ट्स को न केवल गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होगी, बल्कि पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण भी उत्पन्न होंगे। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पो. संख्या दो भूमि का सद्‌भावी केता है, जिसने रिकार्डेड खातेदार विकेता रेस्पो. संख्या एक को मूल्यवान प्रतिफल का भुगतान कर पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये भूमि कय कर कब्जा प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में एक सद्भावी केता को उसकी कयशुदा भूमि से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील मीमों में अपीलाण्ट्स ने आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा सांवता में अपना ⅔ हिस्से पर कब्जा होना जाहिर किया है, और रेस्पो. संख्या एक द्वारा उक्त खसरा के ⅓ हिस्से का बेचान रेस्पो. संख्या दो के पक्ष में किया जाना वर्णित किया है। रेस्पो. संख्या दो द्वारा भी उक्त खसरा के ⅓ हिस्से को कय किये जाने का कथन किया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस खसरा नम्बर की भूमि के संबंध में पक्षकारान के कब्जे बाबत कोई विवेचन नहीं किया है, जबकि खसरा संख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा मतोडा के ½ हिस्से पर अपीलाण्ट्स का प्रथम दृष्टया कब्जा माना है। रेस्पो. संख्या दो के पक्ष में खसरा संख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा सांवता के ⅓ हिस्से का बेचान निष्पादित होने का तथ्य स्वयं अपीलाण्ट्स द्वारा स्वीकृत है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और पक्षकारान के अधिकारों और स्वत्वों का विनिश्चयन तो मूल वाद में पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद गुणावगुण पर विवेचन एवं विश्लेषण के बाद ही किया जा सकता है, किन्तु वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील स्तर पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पो. संख्या दो, जो कि प्रथम दृष्टया आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा सांवता के ⅓ हिस्से का पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये सद्भावी केता प्रकट होता है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के पक्ष में नियमानुसार म्युटेशन भरे जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किन्तु यदि वादग्रस्त आराजियात अथवा उसके किसी भू-भाग के बेचान/हस्तान्तरण अथवा मौके की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन किसी एक पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में दूसरे पक्ष को गम्भीर असुविधा एंव अपूरणीय क्षति होने एवं पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तनाव एवं वादकरण बढने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 मार्च 2019 अपास्त किया जाता है और खसरा संख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा सांवता के ⅓ हिस्से के पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 अक्तूबर 2014 के अनुसरण में म्युटेशन एवं राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र रखते हुए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा मतोडा एवं आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा सांवता के संबंध में मौके की यथास्थिति बनाये रखे और उक्त आराजियात का किसी भी प्रकार से बेचान अथवा हस्तानान्तरण नहीं किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर